# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली

## अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 03/अ0अ0/2016–17

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु प्री–क्वालिफिकेशन/टेक्नीकल एवं फाईनेशियल बिड एक साथ सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पजीकृत ठेकेदारों से दिनांक **11.01.2017** को अपरान्ह **2:00 बजे** तक **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली** में आमंत्रित की जाती है। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह निविदाये अगले कार्य दिवस में उसी समय तक प्राप्त की जायेगी। प्री–क्वालिफिकेशन/टेक्नीकल बिड उसी दिवस अपरान्ह **3.00 बजे** मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग विभाग उ0प्र0, कैनाल कालोनी, ओखला, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति एवं ठेकेदारो के समक्ष खोली जायेगी। तदोपरान्त केवल क्वालीफाईड घोषित ठेकेदारो की फाईनेशियल बिड उसी दिवस अपरान्ह **4.00 बजे** गठित समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष खोली जायेगी। ठेकेदार द्वारा निविदा क्रय करते समय (1) पंजीकरण प्रमाण–पत्र (2) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई.डी.टी.–1) (3) हैसियत प्रमाण पत्र (आई.डी.टी.–2) की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेगी तथा उनकी सत्यापित छाया प्रतियाँ भी ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा जमा किए जायेगे। निविदा प्रपत्र दिनांक **09.01.2017** से **10.01.2017** तक प्रातः **11:00 बजे से सांय 4:00 बजे** तक निम्नलिखित कार्यालयों में निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त की जा सकेगी।

1- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शाामली।
2- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर।
3- कार्यालय सहायक अभियन्ता चतुर्थ, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, डौला/बागपत।
4- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा विकास भवन परिसर, कलेक्ट्रेट शामली।

1. प्रत्येक निविदादाता को धरोहर राशि/एन.एस.सी./एफ.डी.आर. अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो कि **अधिशाासी अभियन्ता लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली** के पक्ष में बंधक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
2. प्रत्येक निविदादाता को रू0 100.00 के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि उसके द्वारा अंकित की गई दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापिस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्रीकर आयकर, स्टाम्प डयूटी, रायल्टी देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प डयूटी जमा करनी होगी।
3. सिंचाई विभाग में पंजीकृत निविदा के कार्यों को करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा रू0 100.00 के नॉन–जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर आई0डी0टी0–3 प्रपत्र पर स्वघोषणा शपथ–पत्र स्वयं के पासपोर्ट फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर निविदा के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
4. ये निविदा सूचना वेबसाईट (http.upgov.up.nic.in/infotech) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट (idup.gov.in) पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की वेबसाईट (idup.gov.in) से भी डाउनलोड की जा सकती है किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधिशाासी अभियन्ता के नाम राष्ट्रीय बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ आई.डी.टी.–1, आई.डी.टी.–2, आई.डी.टी.–3, व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट से ड्राईंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में ये सम्बन्धित अधिशाासी अभियन्ता के कार्यालय से ड्राईंग आदि प्राप्त कर सकेंगें। वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में बिक्री के लिये उपलब्ध में निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इन कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।

| लाट नं0 | कार्य का नाम | धरोहर राशि (लाख रू0) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में) | बैंक प्रभार (रू0 में) | न्यूनतम पंजीकरण श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | जनपद बागपत में स्थित ग्राम डौला में तालाबो की पुर्नस्थापना का कार्य । | 3.60 | 2 माह | 300+13.5% वैट | 50.00 | 'बी' एवं उससे ऊपर |

## शर्ते :–

1. निविदा क्रय करने पर निविदा प्रपत्र के मूल्य पर नियमानुसार व्यापार कर भी अतिरिक्त देय होगा।
2. निविदा की विस्तृत शर्ते प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी।
3. समस्त निविदाताओं को सुझाव दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व समस्त विभागीय शर्तो का अध्ययन कर लें एंव कार्य स्थल का निरीक्षण भी अवश्य कर लें।
4. निविदा प्रपत्र को भली–भांति पढ़कर निविदा देने से पूर्व प्रपत्रों में अंकित निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर करने होंगें।
5. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई–बढाई जा सकती है जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
6. कोषागार से सत्यापित स्टाम्प प्रपत्र ही मान्य होंगें।
7. कोई भी निविदादाता, जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।
8. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगें। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एंव सन्तुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को समक्ष अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

9. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।

10. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एंव प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

11. यह संज्ञान में आने पर किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाताओं को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एंव निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

12. निविदा प्रपत्र लेने हेतु ठेकेदार को स्वंय अथवा उनके द्वारा अधिकृत पत्र धारक को ही फोटो युक्त अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रांगण में केवल रजिस्टर्ड ठेकेदार अथवा उनके द्वारा अधिकृत पत्र धारक को ही आने दिया जायेगा।

14. ठेकेदार द्वारा निविदा क्रय करते समय पंजीकरण प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (आई0डी0टी0–1) हैसियत प्रमाण–पत्र (आई0डी0टी0–2) की मूल प्रतिया जमा की जायेगी।

15. निविदादाता द्वारा बैंक से निविदा क्रय करने के लिये नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क रू0 50.00 देना होगा।

16. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारो द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेगें तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील्ड निविदा को इसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराकर ( निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त कराई जायेगी । जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में दर्ज करेगें, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित उपखण्डीय/खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगें। ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने से पूर्व निविदा बॉक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें, निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व कार्यालय समय अपरान्ह 5.00 बजे तक ही प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा में विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है तो वह निविदा मान्य नही होगी तथा उसका उत्तरदायित्व विभाग का नही होगा।

17. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना निविदा जमा होने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।

18. चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र व स्वघोषणा प्रमाण–पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेगें तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

19. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी0–2, आई0डी0टी0–3 वांछित अनुभव प्रमाण–पत्र तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध कराई है या नही। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नही की जायेगी।

20. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि समक्ष अधिकारी को यह आंशका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगें। यदि आंशका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण–दोष (Merit) के आधार पर समक्ष अधिकारी द्वारा संकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।

21. निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या–622/ 23.12.2012–2 आडिट/08 टीसी–2, दिनांक 08–06–12 के अनुसार 10 प्रतिशत तक कम दरे (Below Rates) प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरे (Below Rates) प्राप्त होने पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम पर प्रफोर्मेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

22. निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को विक्रय किया जायेगा जिनके द्वारा उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्रो के साथ विगत तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष में समान प्रकृति एंव लागत का न्यूनतम एक कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने का अधिशासी अभियन्ता स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

23. उपरोक्त कार्यो की निविदायें धन आंवटन की प्रत्याशा में आंमन्त्रित की जा रही है। धन आंवटन कम प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की दशा में कुछ अथवा सभी निविदायें निरस्त की जा सकती है इसके लिये किसी निविदादाता का कोई दावा मान्य नही होगा।

24. निविदा/फाईनेशियल बिड डालते समय निम्नानुसार **मूल अभिलेख एवं 1 स्वःप्रमाणित छायाप्रति** जमा करनी होगीः–

(I) सिंचाई विभाग में ठेकेदार का निर्धारित श्रेणी में **पंजीकरण प्रमाण पत्र मूलरूप में।**

(II) **चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1) मूलरूप में।**

(III) **हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) मूलरूप में।**

(IV) **स्वः घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) मूलरूप में।**

(V) **आयकर पैन कार्ड की स्पष्ट प्रमाणित छायाप्रति।**

(VI) **विगत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न की मूल प्रतियॉ।**

(VII) **धरोहर धनराशि।**

(VIII) विगत तीन वित्तीय वर्षो में से किसी एक वर्ष में कार्य की लागत के अनुरूप, समान प्रकृति के कार्य का **अनुभव प्रमाण पत्र मूलरूप में।**

(IX) मशीनो, टी0एण्डपी0 एंव तकनीकी स्टाफ की सूची।

(X) उपरोक्त सभी अभिलेखो की प्रमाणित एक–एक छायाप्रतियॉ भी संलग्न करना अनिवार्य है।

25. निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियों तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वंय प्राप्त करनी होगी। कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।

26. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

**अधिशासी अभियन्ता**
**लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर**
**शामली**